

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० पिथौरागढ़।												अनुरोध के आधार पर										
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा 17(ख) (एक) में उल्लिखित प्राविधानानुसार गम्भीर रोगग्रस्त/विकलांग कर्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी की गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर कर्मिकों द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्पों का विवरण-																						
प्र०अ० उच्च प्राथमिक																						
क्र.सं.	कर्मिक का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय /विकास खण्ड	प्रथम नियुक्ति तिथि	राजकीय सेवा में कुल सेवा अवधि (दिनांक 31-05- 2026 तक)	वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि	वर्तमान विद्यालय में ठहराव की कुल अवधि	गम्भीर बीमारी का प्रकार	संस्था का नाम (जिसके द्वारा बीमारी का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है)	विकलांगता का प्रतिशत	संस्था का नाम (जिसके द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है)	स्थानान्तरण हेतु विकल्पित विद्यालय (विकासखण्ड)										अन्य विवरण
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	श्रीमती कमला पन्त	भाषा	रा०जू०हा० भामा /गंगो लीहाट	24/11/1990	36वर्ष ०1माह 22दिन	28/07/2021	०4वर्ष 10माह ०3दिन	स्वयं के रोग से रोग्रस्त	MaxHealthcare & Mattrix Hospital Haldwani & Manthan & Dr. Rajesh Goyal से सम्बन्धित पर्चे व चिकित्सा प्रमाण पत्रों की प्रति।	—	—	रा०पू०मा०वि० भांटगांव, गंगोलीहाट, पिथौ०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	शासनादेशों में उल्लेखित चिकित्सा प्रमाण पत्र अप्राप्त।